न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्याः 133/23 दायर दिनांकः 17.10.2023

जीसीएमएस नं. 2023/312

1 पप्पूराम 2 सम्मोराम 3 बबलूराम पुत्रान लक्ष्मणप्रसाद जातियान जाटव नि. सैंधली तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.

——वादीगण

बनाम

1 ममता पत्नि धर्मसिंह 2 सौरभ पुत्र धर्मसिंह जातियान जाटव नि. सैंधली तह. भुसावर 3 अनीता पुत्री धर्मसिंह पत्नि रूपराम हाल नि. मैथना तह. कठूमर जिला अलवर 4 सचिन 5 दीपक पुत्रान धर्मसिंह नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता ममता पत्नि धर्मसिंह नि. सैंधली तह. भुसावर 6 चन्दा पुत्री गिलहरी पत्नि पदम 7 मुक्ता पुत्री गिलहरी पत्नि बनैसिंह जातियान जाटव नि. सैंधली हाल नि. अखैगढ तह. नदबई जिला भरतपुर राज. 8 लैण्ड होल्डर तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता— 1.श्री सुरेन्द्र चौधरी ——वादीगण

2.श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रति.

निर्णय दिनांक 04.12.2024

वादी द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 294 रकबा 0.62 हैक्टे. वाके ग्राम दयापुर तह. भुसावर में स्थित है, जिसके 1/3 भाग के वादीगण एवं शेष 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण काविज काश्तकार एवं खातेदार है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर काश्त करते हुए राज लगाान राज्य सरकार को अदा करता चला आ रहा है। वादीगण ने ही इस वर्ष उक्त आराजी में मटर की फसल बोई है, जो मौके पर सरसब्ज खडी हुई है।

वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से पर वादीगण का कब्जा आज से करीब 40 साल पूर्व से ही अपने पूर्वजों के जीवनकाल से चला आ रहा है और वादीगण ही अपने पिता के जीवनकाल से आराजी पर काविज रहकर शान्तिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी के संपूर्ण भाग पर प्रतिवादीगण का कोई भी कब्जा व काश्त किसी भी प्रकार से ही नहीं रहा है। लेकिन उक्त आराजी की खातेदारी का इन्द्राज प्रतिवादीगण के बाबा/ससुर गिलहरी उर्फ श्रीया के नाम चला आ रहा था, और उसके बाद प्रतिवादीगण के पति/पिता धर्मसिंह 1/2 हिस्से का व सास/दादी गंगादेई 1/2 हिस्से के नाम व वर्तमान में धर्मसिंह की मृत्यु होने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के नाम 1/2 हिस्से की आराजी दर्ज होती चली आ रही है। लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार से कभी भी काश्त नहीं की है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा 40 साल पूर्व से चले आने के कारण आराजी में खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गये है। इसलिये प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो रही खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज.

कलमजन किये जाने योग्य है व प्रतिवादीगण को आराजी पर किसी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते है।

अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया गया है कि ख.नं. 294 रकबा 0.62 हैक्टे. वाके ग्राम दयापुर तह. भुसावर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व गंगादेई के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण को 1/3 हिस्से के वाहिस्सा बराबर के काविज काश्तकार एवं खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा पेश किया गया।

दिनांक 29.11.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से राजीनामा पेश किया गया तथा दिनांक 04.12.2024 को प्रतिवादीगण संख्या 6 व 7 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। उक्त दोनों राजीनामों में वादीगण की पहचान श्री सुरेन्द्र चौधरी एड. द्वारा की गई व प्रतिवादीगण की पहचान श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा की गई। उक्त राजीनामे बाद तस्दीक शामिल मिसिल है।

हमने बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड, जवाब दावा एवं प्रस्तुत राजीनामों का भली भाँति अध्ययन किया गया।

अतः उक्त आधार पर हम दावा वादी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी राजीनामे के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 294 रकबा 0.62 हैक्टे. वाके ग्राम दयापुर तह. भुसावर में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 व गंगादेई के नाम हो रही खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर वादीगण को 1/3 हिस्से के वाहिस्सा बराबर के काविज काश्तकार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। राजीनामे दिनांक 29.11.2024 व दिनांक 04.12.2024 निर्णय का भाग रहेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)